न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

223RTA2018-00200Ju2018-63 Khetusingh etc Vs Narayansingh etc

---

1. खेतूसिंह पुत्र मूलसिंह
2. भीमसिंह पुत्र श्री मूलसिंह
3. दीलिपसिंह पुत्र श्री मूलसिंह सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- जेतियावास, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. नारायणसिंह पुत्र श्री गंगासिंह जाति राजपूत निवासी- बेगडीया, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
2. श्री मूलसिंह पुत्र श्री कानूसिंह जी फौत के कायम मुकाम,
   2.1. श्रीमती जस्सूकंवर पत्नी स्व. श्री मूलसिंह
3. गणपतसिंह पुत्र श्री मालमसिंह
4. जेठूसिंह पुत्र श्री मालमसिंह जातियान् राजूपत, सभी निवासीगण- जेतियावास, तहसील बावड़ी, जिला जोधपुर।
5. तहसीलदार साहब बावड़ी, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बावड़ी दिनांक 04 जून 2018 राजस्व वाद संख्या 112/2018 खेतूसिंह व अन्य बनाम नारायणसिंह इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-

श्री बी.एस. भंवरिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री मनोहरसिंह राठौड़, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 1
श्री पुष्पेन्द्रसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 5

नि र्ण य

दिनांक : 29 अक्टूबर 2021

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बावड़ी द्वारा राजस्व वाद संख्या 112/2018 खेतूसिंह व अन्य बनाम नारायणसिंह इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 04 जून 2018 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 18 जून 2018 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादीगण अपीलांट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में चल रही थी। अधीनस्थ न्यायालय पत्रावली केम्प कोर्ट जैतियावास में रखी जाकर आदेश दिनांक 04 जून 2018 के जरिये वादी का वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम पालना में खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ आलौच्य अपील पेश की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ड्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौजूदा अपीलाधीन आदेश मनमाना व अवैध तरीके से पारित किया गया है जो हर सूरत में अपास्त किये जाने योग्य है। क्योंकि उपरोक्त अपीलाधीन आदेश रेकर्ड के विपरीत पारित किया गया है और रेकर्ड देखने तक का प्रयास नहीं किया गया है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश पारित कर भारी कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का अपील ग्रस्त आदेश निराधार एवं सुस्पष्ट विधि के विरुद्ध होने से काबिल निरस्त के है। इसलिए आदेश विधि विरुद्ध होने से अपास्त किये जाने के योग्य है। अदालत मातहत ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया, जबकि न्यायालय को केम्प कोर्ट में दोनो पक्षकारान् उपस्थित होने पर ही सहमति बनने पर ही वाद का निस्तारण किया जा सकता है। अन्यथा वाद निस्तारित नहीं किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जा सकता है तथा प्रार्थीगणों का वाद खारिज किया गया जो विधि विरुद्ध है। इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 04.06.2018 को अपास्त किया जावें। माननीय न्यायालय ने जो आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत खारिज किया है, उक्त प्रावधान इसमें लागू नहीं होते है। वाद पूर्व में ओसिंया न्यायालय में विचाराधीन था तथा बावड़ी नई तहसील गठित होने पर इस वाद को बावड़ी तहसील स्थानांतरित कर दिया गया। बावड़ी में पीठासीन अधिकारी का चार्ज औसियां रखने के कारण कई बार वादीगण-अपीलांट्स उपस्थित हुआ, लेकिन पीठासीन अधिकारी महोदय अवकाश व अन्य कार्यो में व्यस्त होने के कारण उक्त वाद की सुनवाई प्रारंभ भी नहीं हुई तथा अपीलांट्स को यह पता चला कि प्रतिवादी संख्या 5 के नाम का नोटिस सम्मन प्रस्तुत करना है, न ही अपीलांट के अधिवक्ता को बताया तथा अधिवक्ता की गलती का खामियाजा अपीलांट्स को नहीं भुगतना पड़े। इसलिए अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर आदेश दिनांक 04.06.2018 को अपास्त किया जावें। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.06.2018 को अपास्त फरमाया जावे तथा मामले को पुनः मेरिट पर सुना जाकर मामले का निस्तारण किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जबाब में अधिवक्तागण-रेस्पो. ने कथन किया कि वादीगण/अपीलांट का वाद दिनांक 06.11.2009 को दर्ज होने के समय प्रतिवादीगण के सम्मन जारी हुए। ततः पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने के आदेश दिये गये, जिसकी पालना वादीगण द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित होने तक करीबन 9 साल तब नहीं की, इसलिए नौ साल तक प्रतिवादीगण के सम्मन पेश नही करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायालय आदेश की पालना नही किये जाने पर वादीगण का वाद अदम पालना में अन्तर्गत आदेश 9

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नियम 5 सीपीसी के तहत विधिसम्मत रूप से खारिज किया है। वादीगण द्वारा केवल प्रतिवादीगण को हैरान व परेशान करने की नियत से वाद पेश किया है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी बताया तथा अपनी हस्तदुआ ग्राम जेतियावास के वर्तमान **खसरा नं. 501 रकबा 49 बीघा एवं खसरा न. 503 रकबा 3.4 बीघा कुल रकबा 52.04 बीघा में प्रतिवादी** संख्या दो का नाम हटाया जाकर खातेदारी घोषणा चाही है, जबकि वादीगण द्वारा वाद के पैरा नंबर 1 व 2 में वादग्रस्त भूमि को पुश्तैनी होना बताकर खसरा नं. 501 का रकबा 101 बीघा 03 बिस्वा बताया तथा उसमें अपना जन्म सें 3/4 हिस्सा बताया है तथा शांति पूर्वक कब्जा काश्त बताया है। वादग्रस्त भूमि में 3/4 हिस्से अनुसार वादीगण का लगभग 75 बीघा हिस्सा बनता है। वादीगण के पिता द्वारा उक्त भूमि का वादीगण की सहमति से बेचान किये जाने के बावजूद खरीदारान प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद अन्तर्गत आदेश 9 नियम 5 के तहत विधिसम्मत रूप से खारिज किया गया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावें।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दिनांक 06.11.2009 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2010 को प्रतिवादीगण के सम्मन पुनः पेश करने का आदेश पारित किया गया। ततः पश्चात लगातार दिनांक 13.07.2010, 02.11.2010, 05.01.2011, 19.05.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2011, 05.10.2011, 15.12.2012, 02.05.2012, 28.08.2012, 10.10.2012, 31.10.2012, 21.11.2012, 02.01.2013, 27.02.2013, 31.12.2013, 18.03.2014, 15.02.2017 तक प्रतिवादीगण के सम्मन पेश करने के आदेश पारित किये गये, जिसकी पालना वादीगण एवं उनके अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाना पाया जाता है। जहां तक प्रकरण की गैरिट पर निस्तारण का प्रश्न है, वादीगण द्वारा वाद के पद संख्या एक व दो में वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 501 रकबा 101.03 बीघा को पुश्तैनी होना बताकर उसमें अपना 3/4 हिस्सा निहित होना बताया है तथा अनुतोष मूल खसरा नं. 501 रकबा 101.03 बीघा को शामिल न कर केवल खसरा नं. 501 रकबा 49 बीघा में प्रतिवादी संख्या दो का नाम हटाया जाकर खातेदारी अधिकार अपने नाम घोषित किये जाने निवेदन किया है जो जन्मजात हिस्से 3/4 से कम लगभग 2/4 हिस्सा तक ही है। वादीगण द्वारा स्वच्छ हाथों से विचारण में दावा प्रस्तुत किया जाना नही पाया जाता है, क्योकि उन्होने खसरा नं. 501य में बेचान की गई भूमि का रकबा 53.03 बीघा के संबंध में कोई उज नहीं उठाया, जबकि उसमें भी पुश्तैनी हिस्सा होने से हिस्से से अधिक का हस्तांतरण हुआ है। अपीलार्थीगण केवल रेस्पोडेंट संख्या 1 को किये गये बेचान 09 बीघा सहित शेष भूमि 49 बीघा में ही खातेदारी घोषणा चाहते है जो विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट्स की यह कार्यवाही केवल रेस्पोडेंट संख्या एक को लक्ष्य बनाकर उन्हें नाहक दावा में उलझानें का इरादा माना है तथा न ही उनकी प्रकरण में रूचि रही है। विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का प्रतिवादीगण के सम्मन प्रस्तुत किये जाने के बार-बार अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी न्यायालय आदेशों की पालना नहीं किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत रूप से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ----/---) रुपये --/---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का --------/-- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 29 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया।

29/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकालतनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

29/X/2021

(नखतदान बारहठ) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
सत्यमेव जयते
जोधपुर